तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1 दीवानी वाद संख्या 121/2013, 25	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08-01-2025	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह प्रार्थनापत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और चिकित्सक ने उसे एक माह की अवधि के लिए पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। प्रार्थनापत्र के साथ चिकित्सक की पर्ची, चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह प्रकरण टारगेटेड केसेज में से एक है, जिनके शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश प्रार्थनापत्र में बताए गए कारण, चिकित्सीय साक्ष्य, प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा, प्रतिवादी संख्या 2 की 83 वर्ष की उम्र और इससे वादी पर पड़ने वाले प्रभाव सहित समस्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के प्रार्थनापत्र को सशर्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. राशि 5000/- रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 अपना शपथपत्र 05 दिन में न्यायालय में प्रस्तुत करें और एक प्रति वादी के अधिवक्ता को दी जाए। कमिश्नर खर्चा नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वहन किया जाएगा। कमिश्नर दिनांक 20-01-2025 को प्रातः 11:00 बजे प्रतिवादी संख्या 2 के निवास स्थान पर जाकर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में नियमानुसार बयान लेखबद्ध करेंगे। सिविल लिपिक पत्रावली समय पर प्रतिवादी संख्या 2 के निवास स्थान पर लेकर जायेंगे और सुरक्षित वापस लेकर आयेंगे। इस पत्रावली में कमिश्नर सुश्री महिमा कोकलिया को नियुक्त किया जाता है, जो सूचत रहे। पत्रावली वास्ते साय प्रतिवादी संख्या 2 जरिये कमिश्नर दिनांक 20-01-2025 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25-01-2024		